जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mkkk/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 11 फरवरी 2021

भाग-8

राजस्थान मीट हाउस के बारे में नया खुलासा!!!

नगर निगम द्वारा जारी किया गया मकान में चल रही दूकान को मीट का लाईसेंस!!!

पुलिस जांच में खुलासा!!!

नगर निगम जयपुर हेरिटेज में स्थित न्यू सांगानेरी रोड,सोडाला ,जयपुर में चल रही अवैध "राजस्थान मीट हाउस"

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर दक्षिण

क्रमांक दिनांक

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
सोडाला जयपुर दक्षिण।

विषयः-परिवाद 181 द्वारा श्री ज्ञानेश अग्रवाल जयपुर दक्षिण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि दिनांक 02.01.2021को परिवादी श्री ज्ञानेश अग्रवाल निवासी जयपुर का परिवाद श्रीमान के कार्यालय से जरिये ई-मेल थाना हाजा पर श्याम नगर थाना क्षेत्र मे चल रही अवैध मीट की दुकान (राजस्थान मीट हाउस) को बन्द करवाने बाबत लिखा गया हैं।
आदि परिवाद की जांच श्री भंवर सिंह हैड कानि०न० 1009 द्वारा करवाई गई दौराने जांच परिवाद मे गैर सायल श्री शाहबुदीन पुत्र श्री छुट्टन कुरैशी के बयान लेखबद्ध कर शामिल जांच किये गये दौराने जांच गैर सायल श्री शाहबुदीन ने अपनी दुकान राजस्थान मीट हाऊस का नगर निगम द्वारा जारी शुदा लाईसेन्स पेश किया जिसका लाईसेन्स नम्बर JMC/2020-21/290 व रजिस्ट्रेशन नम्बर 2020-21/100489 लाईन्स की अवधि दिनांक 31.03.2021 तक हैं। गैर सायल ने राजस्थान मीट हाऊस का लाईसेन्स जारी करवा रखा हैं जो वैध हैं। गैर सायल द्वारा कोई अवैध मीट की दुकान नही चलाई जा रही हैं नगर निगम द्वारा जारी शुदा लाईसेन्स लेकर चलाना सामने आया है।
रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे पेश हैं।

थानाधिकारी
पुलिस थाना श्याम नगर
जयपुर दक्षिण

श्याम नगर पुलिस द्वारा की गयी जांच में सामने आया है कि राजस्थान मीट हाउस को नगर निगम द्वारा मीट लाईसेंस जारी किया गया है जिसका लाईसेंस नंबर JMC/2020-21/290 व रजिस्ट्रेशन नंबर 2020-21/100489 है जिसकी अवधि दिनांक 31/03/2021 है|

यह जांच का विषय है कि मकान में चल रही इस अवैध दूकान को निगम के किस भ्रष्ट अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी किया गया था?जबकि लाईसेंस की शर्तों के अनुसार आवासीय मकान में मीट का लाईसेंस नहीं जारी किया जा सकता|

अवैध मीट की दुकानें • अवैध मीट की दुकानों के पीछे किसकी शह? चार दुकानों पर कार्रवाई के दौरान यह सवाल छोड़ गईं मेयर

मीट विक्रेता-दुकान खोलने को पशु अधिकारी को दिए 50 हजार

अफसर ने कहा-अभी एपीओ हूं, एक साल से चार्ज भी नहीं देख रहा

पशु प्रबंधन शाखा से जुड़े सभी कार्यों की परफॉर्मेंस कटघरे में, जांच हो तो कई अवैध गतिविधियों में सांठ-गांठ का खुलासा हो

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

मंगलवार देर शाम ग्रेटर नगर निगम की मेयर ने अवैध रूप से खुली 4 मीट की दुकानों पर कार्रवाई की। सामने आया कि इनमें से कुछ के पास लाइसेंस भी नहीं था। मेयर को एक मीट विक्रेता ने कहा कि इससे पहले दुकान खोलने के लिए उन्होंने एक पशु अधिकारी को 50 हजार रुपए दिए थे। वीडियो वायरल हुआ तो संबंधित पशु अधिकारी ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे सालभर से मीट का चार्ज ही नहीं देख रहे हैं, फिलहाल एपीओ भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके रहते ही सर्वाधिक नियम विरुद्ध दुकानों पर कार्रवाई हुई और कई नियम लागू भी कराए गए। कुछ समय से ही ये गड़बड़ियां चल रही हैं और उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है।

शहर में 1500 मीट की दुकानें, अवैध गतिविधियां निगम ऑफिस से महज आधा किलोमीटर

सवाल उठता है कि आखिर किसकी शह पर टोंक रोड पर निगम ऑफिस से महज आधा किलोमीटर दूर यह दुकानें खुल रही थीं। फिर कार्रवाई केवल कुछ दुकान पर ही क्यों? असली गुनहगार तो मेयर के निगम में बैठे हैं। इस ओर न तो कोई जांच कराई गई, न ही आरोपों को गंभीरता से लिया गया। शहर में करीब 1500 मीट की दुकानें हैं। इनमें से कई के नियम विरुद्ध चलने और मंगलवार जैसे दिनों पर गैर कानूनी रूप से खुलने के आरोप लगते रहे हैं। मीट काटने और साफ-सफाई को लेकर पड़ोसियों की शिकायतें नजरअंदाज हो रही हैं।

कईयों को रास आ रही पशु शाखा, एक बार आए और यहीं जम गए

नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के पास मीट सहित आवारा पशु से जुड़े कई काम हैं। सभी में 'पशु' से ज्यादा संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के उच्च कोटि के प्रबंधन की चर्चा रहती है। शहर में आए दिन आवारा पशु लोगों को हताहत करते हैं, अवैध डेयरियों से लेकर गायों को पकड़ने व छोड़ने में भ्रष्टाचार के मामले सर्वविदित हैं। इसके बावजूद संबंधित की सेहत बनी हुई है। डेपुटेशन पर आई टीम को यह काम इतना रास आ रहा है कि टिकने के स्थायी जतन तक कर लिए।

मैंने तो सर्वाधिक कार्रवाई की, मुझ पर लगे आरोप निराधार

मेरे ऊपर लगाए आरोप निराधार हैं। जानबूझकर यह सब इसलिए कराए जा रहे हैं कि मैंने ही इस ओर सर्वाधिक कार्रवाई कर नियमों की पालना कराई थी और फिर मैं तो अब संबंधित पोस्ट पर हूं भी नहीं।

-डॉ. हरेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी

आरोपों पर बुरा लगता है, नियमों की पालना व कार्रवाई होगी

निगम अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगने की बात सुनकर बुरा लगता है। यह अच्छी बात नहीं है। यह भी बड़ा सवाल है कि निगम की आंखों के सामने ही नियमों की अवहेलना हो रही है। हम सभी के लाइसेंस चेक करवाएंगे और दोषियों की जांच कर कार्रवाई करेंगे। मीट दुकानों के साथ ही गाय पकड़ने-छोड़ने के मामले भी चेक कर रहे हैं।

-डॉ. सौम्या गुर्जर, मेयर, नगर निगम ग्रेटर

06/02/21 D.B.

मेयर सौम्या गुर्जर ने लगायी हमारे दावे पर मौहर,क्या मुनेश गुर्जर करवाएगी राजस्थान मीट हाउस को जारी फर्जी लाईसेंस की जांच?

हमारे द्वारा कई मीट की दुकानों को जारी किये गए फर्जी मीट लाईसेंसों का निरंतर खुलासा किया गया है,यही वजह है कि नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद जाकर कई अवैध मीट की दुकानों को सीज/बंद करवाया है|परन्तु लगता है मेयर सौम्या गुर्जर जैसा साहस नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर में नहीं है या फिर उन पर राजनैतिक दबाव है जिसके वजह से वह यह कदम नहीं उठा पा रही है|परन्तु श्याम नगर पुलिस की जांच से स्पष्ट है कि राजस्थान मीट हाउस को जारी किये गए मीट लाईसेंस में जरुर कोई फर्जीवाडा है|देखना यह है कि क्या इस लाईसेंस के एक्सपायरी होने के बाद और इस मामले का खुलासा होने के बाद निगम हेरिटेज के जिम्मेदार अधिकारी इस लाईसेंस को रिनियु करेंगे या नहीं|

क्या लायिसेंस की शर्तों के विरुद्ध दुकान में ही रोज के 10 जानवरों(बकरे/बकरियां/मेंडे) हलाल करना गैरकानूनी नहीं हैं?

क्या बिना डाक्टरी परिक्षण करवाए बीमार, मादा जानवर काटना अवैध नहीं है?

क्या दूषित मांस बेचकर लोगो के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना अपराध नहीं है?

क्या मंगलवार के दिन प्रतिबन्ध होने के बावजूद जानवर काटना/मीट बेचना अपराध नहीं है?

क्या प्लास्टिक की थैलियों में मीट बेचना अपराध नहीं है?

आखिर किस भ्रष्ट अधिकारी द्वारा जारी किया गया था यह लाईसेंस?

क्या निगम की मेयर करवाएगी इस मामले की जांच?